

डिक्री व मुकदमें ईवतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 119/2025

अवतेश सिंह पुत्र श्री शाहबाज सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़

- वादी

बनाम्


- 1 माला सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 2 शाहबाज सिंह पुत्र श्री माला सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 3 रमनदीप कौर पुत्री श्री माला सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 4 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई करुबरे हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 1 एनटीडब्ल्यु के खाता संख्या 53/7 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 मे गंगा सिंह पुत्र जलावर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी अवतेश सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गंगा सिंह पुत्र जलावर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........अदा करें। वसक्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.5.2025 को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया